

कार्यालय जिलाधिकारी, मथुरा।

पत्रांक: अ0जि0अ0(प्र)/कोरोना/आ0व0/2020

दिनांक:

प्रेस विज्ञप्ति

जिलाधिकारी महोदय, मथुरा की बैठक में विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरोना वाइरस(कोविड-19) संक्रमण को एपिडेमिक डिजीज घोषित करने तथा इस संदर्भ में उत्पन्न स्थिति के परिपेक्ष्य में एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 की धारा (2)(3) एवं (4) 30प्र0 महामारी कोविड-19 विनियामावली 2020 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने हेतु जिलाधिकारी महोदय, मथुरा द्वारा दिनांक-26.03.2020 की बैठक में सम्पन्न जनपद मथुरा में आवश्यक वस्तुओं का निम्नलिखित दर निर्धारित किया जाता है।

क्र.सं.	खाद्य/फल/सब्जी पदार्थ का नाम	मात्रा	मूल्य
1	आटा	5 किलो ग्राम (पोली पैक)	160/-
2	चावल	5 किलो ग्राम	200/-
3	नमक	प्रति किलो ग्राम	20/-
4	अरहर दाल	प्रति किलो ग्राम	120/-
5	सरसों का तेल	प्रति किलो ग्राम	125/-
6	चीनी	प्रति किलो ग्राम	45/-
7	टमाटर	प्रति किलो ग्राम	40/-
8	लौकी	प्रति किलो ग्राम	30/-
9	कदू	प्रति किलो ग्राम	30/-
10	हरी मिर्च	प्रति किलो ग्राम	40/-
11	बैंगन	प्रति किलो ग्राम	30/-
12	फूल गोभी	प्रति किलो ग्राम	30/-
13	सेब	प्रति किलो ग्राम	120/-
14	केला	प्रति किलो ग्राम	50/-
15	बन्द गोभी	प्रति किलो ग्राम	30/-

16 | आलू | प्रति किलो ग्राम | 25/-
 उक्त निर्धारित दर से अधिक यदि कोई विक्रेता आवश्यक वस्तुओं का वितरण करते हुए पाया जाता है तो उससे विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। उक्त आदेशों का अनुपालन कड़ाई के साथ करना सुनिश्चित करें।

अपर जिलाधिकारी(प्रशासन)
जनपद- मथुरा

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्त:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, मथुरा।
2. निदेशक सूचना अधिकारी, मथुरा को इस आशय से कि उपरोक्त प्रेष विज्ञप्ति समस्त दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

3- NIC को इस आशय में कि website में प्रकाशित सूचनाओं को अपडेट करें।

अपर जिलाधिकारी(प्रशासन)
जनपद- मथुरा